बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस.बी-2, पाटलीपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्र, पटना-800 010

अधिसूचना संख्या: 18. पटना, दिनांक: 29-08-22.

अधिसूचना

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, दिल्ली द्वारा OA No: 681/2017 में दिनांक 16.09.2020 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्गत पत्रांक: सी.पी.सी.बी./ आई.पी.सी-भी/ एन0जी0टी0_ओ.ए-681/पॉल्ट्री/2021-4931, दिनांक: 17.08.2021 में नये पॉल्ट्री फार्म (Poultry Farm) की स्थापना हेतु मार्ग-दर्शिका जारी किया गया है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी किये गये मार्ग-दर्शिका के अनुपालन एवं कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के पर्षद् मंडल की 112वीं बैठक की कार्यवाही संख्या-11 में दिनांक 25.03.2022 को लिये गये निणय के आलोक में पॉल्ट्री फार्म (**ब्रीडर फार्म, हेचरी फार्म, लेयर फार्म एवं ब्रॉयलर फार्म यथा-मांस प्रोसेसिंग फार्म**) की स्थापना हेतु बिहार राज्य की परिसीमा में प्रासांगिक दिशा-निर्देश को निम्न प्रकार अधिसूचित किया जाता है:-

(1) **वर्गीकरण:**

क्रमांक	वर्ग	पक्षी की संख्या	श्रेणी
1	लघु	5,000 से अधिक तथा 25,000 पक्षी तक	हरा
2	मध्यम	25,000 से अधिक तथा 1,00,000 पक्षी तक	नरंगी
3	वृहद	1,00,000 से अधिक पक्षी	लाल

(2) **पॉल्ट्री फार्म** (Poultry Farm) की स्थापना हेतु चयन किये जाने वाले स्थल निम्न प्रकार होंगे:-

माप-दण्ड:

क्रमांक	स्थल चिन्ह्	दूरी (न्यूनतम)
1	**आवासीय क्षेत्र** (आवासीय क्षेत्र में कम से कम 200 स्थायी निवासी)	500 मीटर (उक्त दूरी के चौथाई दूरी अर्थात् 125 मीटर की परिधि में स्थायी आवादी की संख्या शून्य होगी)
2	**वृहद् जल स्रोत** (झील, नदी, पोखर, झरना, नहर एवं पेय जल-स्रोत यथा-कुआँ एवं ग्रीष्म-कालीन स्टोरेज टैंक (Summer Storage tanks)	100 मीटर
3	राष्ट्रीय उच्च पथ (**NH**)	100 मीटर
4	राजकीय उच्च पथ (**SH**)	50 मीटर
5	ग्रामीण सड़क/आंतरिक सड़क/ग्रामीण पगडंडी	10 मीटर
6	मुर्गी फार्म के शेड से चाहर-दिवारी	10 मीटर
7	राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण/व्याघ्र आरक्ष	1.0 किलोमीटर

(3) **5000-पक्षियों अथवा उससे अधिक संख्या वाले** पॉल्ट्री फार्म (Poultry Farm) को राज्य पर्षद् से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत **स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति** प्राप्त करना अनिवार्य होगा;

(4) उद्यमियों को **संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी से निबंधन** कराना अनिवार्य होगा;

(5) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक: सी.पी.सी.बी./आई.पी.सी-भी/एन0जी0टी0_ओ.ए.-681/पॉल्ट्री/2021-4931, दिनांक: 17.08.2021 द्वारा निर्गत पर्यावरणीय दिशा-निदेश में अंकित शर्तो एवं निदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा;

(6) यह आदेश पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

29/8/21

(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य-सचिव